

न्यायालय उपायुक्त, खूंटी

न्यायालय उपर समाहती खूंटी
आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

क्र.सां.रेकोजन.वाद सं० 02R15 वर्ष 2015 धारा
ACTR No 04/15-16

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक

मेसर्स ठाणे फर्मे गार्स वाटावाण्डा मेन रोड
आदिलापुर, जिला- पूर्वी सिंदभूम प्रो० अ
प्रेमनारायण ठाणे

वनाम

प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

अंचल अधिकारी खूंटी

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
19.05.15	<p>प्रस्तुत आवेदन आवेदक मेसर्स ठाणे फर्मे, गार्स वाटावाण्डा मेन रोड आदिलापुर, जिला पूर्वी सिंदभूम, प्रो० अ प्रेमनारायण ठाणे पं०-स्व० माली राम फरारी सफिन-19 उच्च शर्ट व डेकरा सरिया (पेन नाम-विष्णुपुर जमशेदपुर जिला-पूर्वी सिंदभूम) गारमेट ने भूमि वुधार उप-समाहती खूंटी के-मामाका के दखिल खरिज अपील नं० 03/14-15 के दि० 08-04-15 को पारिज आदेश के बिन्दु शरिज गारा है। क्लिप के लिए एकाग्रता के आवेदन दखिल किया गया है। बाद के अर्थर सुनवाई हेतु अभिलेख उपर समाहती खूंटी के-मामाका के हस्ताक्षर करे।</p>	<p style="text-align: right;">19/5/15</p>


आदेश क्रमांक
/दिनांक
Order No./Date

आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर
Order and Signature of Officer

आदेश की प्रती
कार्रवाई की दिनांक
Action taken on order
with date

01-07-20

अभिलेख उपस्थापित सरकार के सचिव राजस्व
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग कारखाने
सरकार पंजी के पत्रांक-332/रां दिनांक-
24-01-20 के द्वारा प्रविष्टित है The Bihar
Tenants Holding (Maintenance of Records)
Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision
की सुनवाई करने का अधिकार मात्र
Collector को है न कि Additional
Collector अथवा Deputy Collector को है।
अतः उक्त निम्न धारा के अर्थात्
में अग्रतर कारवाई/सुनवाई हेतु अभिलेख
उपायुक्त सूची के न्यायालय में हस्तांतरित
करे।


1.7.2020
अपद समाहर्ता
सूची।

अभिलेख उपस्थापित अभिलेख अपर उपाहर्ता सूची के न्यायालय
से हस्तांतरित होकर अग्रतर के अभिलेख पर अग्रतर कारवाई
हेतु वाद पंजी में अंकित पर पत्रकारों को सूचना निर्गत
करे।
अभिलेख दिनांक को एवं।